



भारतीय रिज़र्व बैंक  
Belapur, Navi Mumbai

**बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त: मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीबीडी बेलापुर में भूतल और बेसमेंट में श्रेडिंग और ब्रिक्वेटिंग (एसबीएस) क्षेत्र का नवीनीकरण (आरबीआई/बेलापुर क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/1/25-26/ईटी/18[एसबीएस क्षेत्र-बेलापुर का नवीनीकरण])।**

उपर्युक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 07 अप्रैल 2025 को 15:00 बजे आयोजित की गई। एक फर्म ने बोली-पूर्व बैठक में भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची [अनुलग्नक-1](#) में दी गई है।

2. एजीएम (एस्टेट) ने अपने उद्घाटन भाषण में फर्मों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और फोरम को उपर्युक्त निविदा के कार्य के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात् फर्मों के प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया

3. फर्म-वार प्रश्नों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था:

क्रम सं	फर्मों के नाम	संदेह / प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1.	मेसर्स नियोडेकोर	i) टेंडर दस्तावेज अपलोड करना होगा?  ii) बीमा पॉलिसियाँ	i) यह स्पष्ट किया गया कि संपूर्ण टेंडर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उसे अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।  ii) यह स्पष्ट किया गया कि टेंडर दस्तावेज के खंड 31 के अनुसार, सफल बोलीदाता को कार्य शुरू होने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  a) ठेकेदार की सभी जोखिम पॉलिसी जिसमें अग्नि जोखिम (अलग से शामिल), भूकंप जोखिम, तूफान जोखिम आदि शामिल हैं।  b) श्रमिक मुआवजा पॉलिसी। (पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में 10 लाख रुपये होगी)  c) तीसरे पक्ष की देयता



क्रम सं	फर्मों के नाम	संदेह / प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
		iii) अग्रिम भुगतान	iii) यह स्पष्ट किया गया कि टेंडर दस्तावेज के खंड 7 के अनुसार, a) इस कार्य के लिए कोई अंतरिम भुगतान नहीं किया जाएगा। b) भुगतान केवल साइट पर पहुंचने वाले तैयार उत्पाद के लिए माना जाएगा। c) खरीदी गई सामग्री के लिए कोई सुरक्षित अग्रिम राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. बोली पूर्व बैठक/शुद्धिपत्र के ये कार्यवृत्त बोली दस्तावेज और करार/अनुबंध का हिस्सा होंगे।
5. निविदा/बोली दस्तावेज के नियम, शर्तें और विनिर्देश तब तक समान रहेंगे जब तक कि इस शुद्धिपत्र में अन्यथा न कहा गया हो/स्पष्ट न किया गया हो।
6. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं के लिए सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी किए जाते हैं।
7. फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना निविदा/बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।



## अनुलग्नक-I

### सहभागियों की सूची:

भारतीय रिजर्व बैंक बेलापुर:	फर्मों के प्रतिनिधि:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. श्री योगेश फसाटे (समप्र-टेक सिविल)</li><li>2. श्रीमती सिनी पॉल (समप्र)</li><li>3. श्री साहिल मित्तल (प्रबंधक)</li><li>4. श्री हेमराज वालुरकर (सप्र-टेक सिविल)</li><li>5. श्रीमती भाग्यश्री मुगांवकर (सप्र)</li><li>6. श्री यशवर्धन सोनवणे (जेई-टेक सिविल)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. मेसर्स नियोडेकोर</li></ol>